निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1172) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्तूबर 2015

सं0 08/आरोप–01–92/2014–सा०प्र०–13418
सामान्य प्रशासन विभाग

———————

संकल्प

7 सितम्बर 2015

श्री परमानन्द कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1151/2008, 916/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार) सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार के विरुद्ध जनवरी 2004 से जून–2004 तक इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6640, दिनांक 23.07.2007 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों (प्रपत्र 'क') की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1058, दिनांक 26.02.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–932, दिनांक 24.02.2009 द्वारा निलंबित भी किया गया। कालान्तर में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16463, दिनांक 28.11.2014 द्वारा ये निलंबन मुक्त हुए।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में यद्यपि श्री कुमार पर प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित बताया गया तथापि अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप सं०–02,04 एवं 05 में असहमति के बिन्दुओं को दर्शाते हुए विभागीय पत्रांक–1314, दिनांक 23.01.2015 द्वारा इनसे द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री कुमार द्वारा अपना प्रत्युत्तर (दिनांक 29.01.2015) समर्पित किया गया।

4. श्री कुमार ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में आरोप सं०–02 यथा, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लाभुकों के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अन्य वर्गो से लाभुकों का चयन किये जाने में मार्गदर्शिका के उल्लंघन संबंधी आरोपों के बचाव में यह स्पष्ट किया कि उक्त लाभुकों का चयन उनके पूर्व पदस्थापित दो प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। योजना की मार्गदर्शिका अथवा जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों द्वारा वर्ग विशेष के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों का चयन नहीं हो पाने की स्थिति में उसे प्रत्यर्पित करने के संबंध में कोई दिशा–निर्देश नहीं दिया गया था।

आरोप सं०–04 यथा, गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों का चयन (वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 के लिए) पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा की गयी अनुशंसा को आधार बनाकर किये जाने में निहित नियमों के उल्लंघन संबंधी आरोप के बचाव में श्री कुमार ने यह तर्क दिया है कि बी०पी०एल० सूची अद्यतन नहीं होने के कारण तत्समय ग्राम सभा से पारित लाभुकों की सूची पर कार्रवाई की गयी थी।

आरोप सं०–05 यथा, अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा इन्दिरा आवास योजना एवं इन्दिरा आवास अपग्रेडेशन योजना के अभिलेख का काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाने में निहित अनियमित रूप से अभिलेख

संधारण के आरोपों पर अपने बचाव में श्री कुमार ने यह उल्लेख किया है कि दिनांक 23.06.2004 को उक्त जाँच के समय वे प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई के पद पर पदस्थापित नहीं थे। अभिलेख उपलब्ध कराने की जवाबदेही तत्समय पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी की थी। इन्होंने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने में साजिश किये जाने का तथ्य भी स्पष्ट किया है। परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की समेकित रूप से समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लाभुकों का लक्ष्य दूसरे वर्ग को आवंटित करना एवं इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त किये बिना इनके द्वारा स्वयं निर्णय लेना पूर्णतः गलत था। जहाँ तक बी०पी०एल० सूची अद्यतन नहीं होने के कारण ग्राम सभा से पारित लाभुकों की सूची पर कार्रवाई किये जाने का तथ्य है ऐसी स्थिति में पंचायत स्तर पर लाभुकों की सूची निर्माण की प्रक्रिया को यदि इनके द्वारा कड़ाई के साथ अनुश्रवण किया गया होता तो उसमें गलत व्यक्तियों का नाम अंकित होने की संभावना नहीं रहती। इसके साथ ही जाँच के समय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने से यह भी पुष्टि होती है कि अभिलेख में त्रुटि थी जिसके कारण कार्यालय द्वारा उसे उपस्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है तथा उक्त हद तक श्री कुमार के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रमाणित होता है।

6. अतएव श्री परमानन्द कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1151/2008, 916/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार) सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 में प्रावधानित निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :–

(क) निन्दन,

(ख) प्रोन्नति पर एक वर्ष के लिए रोक (प्रोन्नति की देय तिथि से प्रभावी)।

6. श्री कुमार के निलंबन अवधि के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1172-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in